तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अशोक बनाम पूरन वगै०
27/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली कैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर अभिलेख उपलब्ध हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी वैर (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 39 / 2024

1. अशोक
2. कन्हैया पुत्रान पूरन जाति प्रजापत निवासी भौंट तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
3. फूलवती पुत्री पूरन पत्नि कमल सिंह
4. बवीता पुत्री पूरन पत्नि पप्पू
5. समीता पुत्री पूरन पत्नि महेन्द्र जातियान प्रजापत निवासी मिलकपुर तह0 बयाना।
6. लक्ष्मी पुत्री चन्द्रभान पत्नि गजेन्द्र
7. विमलादेवी पुत्री चन्द्रभान पत्नि रामचन्द जातियान प्रजापत निवासीयान खैमरा तह0 व जिला भरतपुर।
8. सुरेन्द्र
9. अनिल
10. महेश पुत्रान चन्द्रभान जातियान प्रजापत निवासी भौंट तहसील उच्चैन।
11. कमलेश पुत्री चन्द्रभान जाति प्रजापत निवासी भौंट तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।

बनाम

1. पूरन
2. चन्द्रभान पुत्रान भम्मल जाति प्रजापत निवासी भौंट तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
3. रम्मो पत्नि रामखिलाडी पुत्री भम्मल जाति प्रजापत निवासी विजयपुरा तह0 नदबई।
4. चिरोजा पत्नि कलुआ पुत्री भम्मल जाति प्रजापत निवासी जहांगीरपुर तह0 नदबई।
5. पूरनदेई पत्नि शिवचरन पुत्री भम्मल जाति प्रजापत निवासी न्योठा तहसील नदबई।
6. रघुवीर
7. भगवत पुत्रान हिन्ना जाति प्रजापत निवासी भौंट तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

दिनांकः—27.05.2025

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि सायलान के बाबा व गैरसायल संख्या 1 लगा0 5 के पिता भम्मल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 703 रकवा 4 बीघा 9 विस्वा, 742 रकवा 12 विस्वा, 686 रकवा 5 बीघा 17 विस्वा, 1860 / 829 रकवा 1

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम भोंट तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है जो सालिम भम्मल के नाम थे व खसरा नम्बर 752 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा में 1/2 हिस्सा है। भम्मल की मृत्यु के बाद विरासतन आराजी गैरसायल 1 लगा0 5 के नाम आ गयी। सायलान के बाबा भम्मल द्वारा छोडी गई उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण सह खातेदार हैं। और सायलान की पैतृक आराजी है जिसके कारण सायलान विवादित आराजी में हिस्सा मुताबिक अपने को खातेदार काश्तगार करवा पाने का अधिकारी है। अप्रार्थी गण के मन में बदयान्ती आ गई है। और वे राजस्व रिकार्ड में गलत खातेदारी अंकन के आधार पर उक्त विवादित आराजी को रहन व मुंतकिल करना चाहते हैं व कब्जे में हस्तक्षेप करते हैं। एवं आराजी से बेदखल करने को उतारू हैं। जिसकी धमकी हमें दिनांक 10.02.2020 को दी है। यदि अप्रार्थीगण उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण अपनी पैतृक आराजी को अपने हिस्से से वंचित हो जावेंगे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ,2 ,4 व 5 बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को जरिये आदेश 1 नियम 10 सीपीसी से पक्षकार मुकदमा बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जबाव पेश नहीं करने के कारण इनका जबाव बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0 नं0 752 हिस्सा 1/2 भाग के हम अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं। एवं ख0 नं0 703 व 742 में हम अप्रार्थीगण 1/3 भाग के खातेदार काश्तगार काबिज आराजी इसी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण हिन्ना बनाम पूरन वगै0 में दिनांक 18.10.2010 को हम अप्रार्थीगण को खातेदार काश्तगार घोषित किया जा चुका है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 एव हम अप्रार्थीगण एक ही मूरिसआला कलुआ के वारिसान हैं। पिता कलुआ से प्राप्त समस्त आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1/3, 1/3 हिस्से के खातेदार थे लेकिन भम्मल चालाक व्यक्ति व बडा भाई था तथा मवासी व हिन्ना छोटे व अनपढ थे। इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर भम्मल ने अपने नाम अधिक खातेदारी दर्ज करा ली जिसके बावत् न्यायालय हाजा के समक्ष उनवान हिन्ना बनाम पूरन व समेकित वाद पूरन बनाम हिन्ना विचाराधीन थे जिसमें दिनांक 18.10.2010 को निर्णय हो गया था। तथा एक अन्य वाद हिन्ना बनाम पूरन न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें हम दोनों पक्षकारों के मध्य दिनांक 17.05.2012 को राजीनामा हो गया था। प्रार्थीगण ने तथ्यों को छुपाते हुए उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की विवादित आराजी प्रार्थीगण के बाबा भम्मल की छोडी हुई पैतृक आराजी है। जिसके बाबत प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के विरूद्ध डिक्लेरेशन चाहा है क्योंकि प्रार्थीगण के पिता में व्यसन उत्पन्न हो गये हैं एवं विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पावंद किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी से संबंधित एक अन्य दावा पूर्व से ही न्यायालय हाजा में लंबित है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। उक्त राजीनामा को मिलीभगत करके बच्चों ने नहीं माना एवं नया दावा पेश कर दिया। अगर उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो न्यायालय हाजा में उक्त आराजी से संबंधित विचाराधीन अन्य मुकदमें में भी इसका असर पडेगा। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक प्रार्थी ने अभिभाषक अप्रार्थी की बहस का जबाब करते हुए कथन किया कि हम प्रार्थीगण के अधिकार अन्य किसी दावे से निर्धारित नहीं होंगे। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा केवल अपने हिस्से तक चाहते हैं।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजों की छोडी हुई पैतृक आराजी है। जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के हक निहित है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त आराजी के पैतृक होने के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षा हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करबाना चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की रिकार्ड की स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्राथीगण की पैतृक की आराजी है। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्ताबेजों एवं जमाबंदी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से तक रिकार्ड की स्थिति यथाबत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुबिधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने

उपखण्ड अधिकारी
उज्जैन (ग्रामीण)

से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर नम्बर 703/4.09, 742/0.12, 686/5.17, 1860/829/1.06 बीघा वाकै ग्राम भौंट तहसील उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी 2070–2073) में प्रार्थीगण के बनने वाले हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)